न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल महोदय म0प्र0 ग्वालियर म0प्र0

R 678- I-17

निगरानी

निजामुददीन पुत्र स्व. चन्दा खां आयु 45 साल जाति मुसलमान निवासी कस्वा जौरा परगना जौरा जिला मुरैना –निगरानी कर्ता

बनाम

शौकत खां पुत्र स्व. इस्माइल खां जाति मुसलमान निवासी हाल कटी घाटी लश्कर ग्वालियर ––––– गैर निगरानी कर्ता

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 17-2-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्व प्रकरण क्रमांक 4/16–17/अ6 श्रीमान तेहसीलदार महोदय जौरा जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.2.2017

श्रीमान जी,

निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी निम्नांकित प्रस्तुत है :–

1. निगरानी के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि कस्वा जौरा की भूमि सर्वे क्रमांक 552, 553/1, 553/2, 554, 555/1, 555/2, 564, 611, 613 कुल किता 9 रकबा 8 वीधा 14 विस्वा मे से श्रीमती नूरन क हिस्सा 1/10 पर नामान्तरण वावत अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदक/गैर निगरानी कता द्वारा एक आवेदन पत्र फोती के नामान्तरण हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया कि महिला नूरन फोत हो चुकी है इनके हिस्से पर आवेदन फोत हो चुकी है इनके हिस्से पर आवेदक एवं आवेदक के फोत भाई लियाकत खां के वारिसान पत्नी अफसाना एवं पुत्री सलौनी का नामान्तरण किया जावें ।
2. यहकि – प्रकरण मे निगरपनी कर्ता को अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण मे आपत्ति कर्ता के रूप मे एक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि महिला नूरन पत्नी इस्माइल खां की मृत्यु होते हुये नही देखा गया है तथा उनकी मृत्यु विवादित है इसकारण उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नही हो रहा है और न ही प्रकरण मे मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है इसकारण उनकी मृत्यु होना प्रमाणित नही है ऐसी स्थिति मे फोती का नामान्तरण किया जाना कतई संभव नही है ।

(47)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-678-एक/17 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आई.पी. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (47)	